

## गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

क्र./42/कु.स./स्टेनो/2001

विलासपुर, दिनांक 27.05.2001

### आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिपद की स्थगित आपात बैठक दिनांक 27.05.2001 के पद क्रमांक -1 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक: 22-1973) की धारा -49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुये ग्रामीण प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान में श्री पुष्पराज सिंह को वेतनमान रु. 8000-125-13500/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इनका वेतन इनके वर्तमान वेतन का अनुरक्षण करते हुये मूलभूत नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

इनकी सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम-31 एवं अध्यादेश क्रमांक-4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होंगी।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते दिये होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय सामान्य मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिपद के आदेशानुसार  
(फणरिभूयण त्रिवेदी)  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक /43/कु.स./स्टेनो/2001

विलासपुर, दिनांक 27.05.2001

प्रतिलिपि -


- ✓ 1. श्री पुष्पराज सिंह, एम.आई.जी.-1/887 हुडको कालोनी, एएमडीआई नगर, धिलाई, दुर्ग (छ.ग.)को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, रौतपिक योग्यता/पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजन का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

2. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

6. कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी की सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर
8. उप-कुलसचिव (प्रशा.) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
कुलसचिव